तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गोविन्दकरण राठौड़ बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 239/2023 ( )	
09.11.23	अपीलार्थी गोविन्दकरण राठौड़ पुत्र धनकरण राठौड़, निवासी 79, हनवन्त बी, सेक्टर बी, बी.जे.एस. कॉलानी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.08..2023. में उसके द्वारा (1) प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र एकल खिड़की में पेश 12 नकल प्रार्थना पत्र जो लम्बे समय पूर्व पेश करने के पश्चात बार बार प्राप्ति हेतु चक्कर काटने पर भी नकले नहीं दी गई, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 1139 दिनांक 19.10.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी गोविन्दकरण के आवेदन पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाज से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधि. 2005 की धारा 5(4) के तहत कार्यालय पत्रांक 994 दिनांक 16.08.2023 द्वारा प्रेषित कर सात दिवस में इस कार्यालय को भिजवाने हेतु लिखा गया था, परन्तु प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं होना कहा गया तथा धारा 5(5) के तहत लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की। चूंकि प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा, कार्यालय हाजा द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, अभिलेख शाखा कार्यालय हाजा (लोक सूचना अधिकारी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे। *आदेश की* प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	

प्रस्तुत कर पावती